"राजस्थान में उच्च शिक्षा के परिणामों" पर निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का प्रेस ब्रीफ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार, भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक राज्य विधानमंडल के पटल पर उपस्थापित करने हेतु अपने प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। तदनुसार, *"राजस्थान में उच्च शिक्षा के परिणामों"* की निष्पादन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-राजस्थान सरकार राज्य विधानमंडल के पटल पर दिनांक 14.09.2021 को उपस्थापित किया जा चुका है। प्रक्रियानुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा की जन लेखा समिति को सौंपा हुआ माना जाता है।

इस लेखापरीक्षा को संपादित करने का उद्देश्य

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज़ के अनुसार, भारत में उच्च शिक्षा दो बुनियादी चिंताओं: निम्न सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, जिसे देश में विश्व स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों की कमी द्वारा चिन्हित किया गया है, से ग्रस्त है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात के लिए राजस्थान की रैंकिंग 20 (2010-11) से घटकर 23 (2018-19) रह गई। चूंकि राजस्थान का सकल नामांकन और उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता दोनों मामले में प्रदर्शन खराब था , अत: *'राजस्थान में उच्च शिक्षा के परिणामों'* की निष्पादन लेखापरीक्षा संपादित करने का निर्णय लिया गया।

उच्च शिक्षा में परिणामों की पहचान और उनका मापन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। विषय विशेषज्ञों के साथ व्यापक पारस्परिक विचार-विमर्श, और विभिन्न नीति दस्तावेजों के आधार पर, लेखापरीक्षा ने उच्च शिक्षा के परिणामों को प्राप्त करने में राज्य की उपलब्धियों का आकलन और मूल्यांकन सामान्य कोर्स (विज्ञान/कला/वाणिज्य) में शिक्षा प्रदान कर रहे चयनित तीन राज्य विश्वविद्यालयों (राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर; जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू), जोधपुर तथा गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय (जीजीटीयू), बांसवाड़ा) एवं उनके 69 संघटक महाविद्यालयों/संबद्ध राजकीय और निजी महाविद्यालयों में लेखापरीक्षा 2014-19 की अवधि के लिए इस सन्दर्भ में संपादित किया कि '*क्या उच्च शिक्षा तंत्र उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों की रोजगार क्षमता और उच्च अध्ययन के लिए प्रगमन में वृद्धि को बढावा देता है*'; '*क्या उच्च शिक्षा तंत्र ने प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं और उच्च गुणवत्तापूर्ण शोध के माध्यम से समाज में योगदान किया*'; '*क्या सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की समान पहुंच सुनिश्चित की गई*'; तथा '*क्या उच्च शिक्षा तंत्र का शासन एवं प्रबंधन पर्याप्त और प्रभावी था*'।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष थे:

अध्याय II : रोजगार और उच्च अध्ययन के लिए छात्रों का प्रगमन

- कैरियर काउंसलिंग सेल/प्लेसमेंट सेल और पूर्व-छात्र संघ या तो निष्क्रिय थे या गैर-मौजूद थे। नमूना जांच किए गए 99 प्रतिशत उच्च शिक्षण संस्थानों में रोजगार क्षमता वृद्धि के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए थे। 2018-19 के दौरान नमूना

जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में किसी भी छात्र ने फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप नहीं की ।

(अनुच्छेद 2.1.1.1 एवं 2.1.2.2)

- 2014-19 के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और जेएनवीयू, जोधपुर में रोजगार क्षमता/उद्यमिता/ कौशल विकास पर केंद्रित बहुत कम नए कोर्स शुरू किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.1.2.3 एवं 2.1.2.4)

- छात्र रोजगार और उच्च अध्ययन के लिए छात्रों के प्रगमन से संबंधित आंकड़े न तो आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा द्वारा राज्य स्तर के लिए और न ही नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों एवं उनके संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा संधारित किए गए थे ।

(अनुच्छेद 2.1.3.1 एवं 2.1.3.2)

अध्याय III : उच्च शिक्षा की गुणवत्ता

- सामान्य डिग्री कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम डिजाईन/संशोधित करने के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और जेएनवीयू, जोधपुर में उद्योगपतियों, उद्यमियों, छात्रों जैसे हितधारकों से फीडबैक प्राप्त नहीं किए ।

(अनुच्छेद* 3.1.1.2*)

- 2014-19 के दौरान (11 चयनित विभागों में से) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में 96 प्रतिशत कार्यक्रमों और जेएनवीयू, जोधपुर में 64 प्रतिशत कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम/सिलेबस संशोधित किए गए थे, जबकि जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने 2012 में अपनी स्थापना के बाद से 2019 तक किसी भी कार्यक्रम का पाठ्यक्रम संशोधित नहीं किया।

(अनुच्छेद* 3.1.1.3*)

- 2018-19 के दौरान नमूना जांच किए गए तीनों विश्वविद्यालयों में, केवल 10.75 प्रतिशत कक्षाओं में सूचना व संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी) संसाधन उपलब्ध थे और मात्र 30.59 प्रतिशत शिक्षक शिक्षण में आईसीटी उपकरणों का उपयोग कर रहे थे ।

(अनुच्छेद* 3.1.2.2*)

- राजकीय महाविद्यालयों में संकायों की उपलब्धता अपर्याप्त थी, जिसके परिणामस्वरूप छात्र शिक्षक अनुपात (औसत) बढ़ कर 88:1 हो गया, जोकि 20:1 की निर्धारित सीमा की अपेक्षा चार गुना से अधिक था । शिक्षकों के व्यावसायिक विकास की दिशा में भी प्रयास अपर्याप्त थे ।

(अनुच्छेद 3.1.2.3 (अ) एवं 3.1.2.4)

- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा शोध परियोजनाओं पर स्वीकृत अनुदान का केवल 45.82 प्रतिशत का उपयोग किया गया और केवल 39 प्रतिशत शोध परियोजनाएं पूर्ण की जा सकी। आगे, शोध परियोजनाएं पूर्ण होने के परिणाम के रूप में कोई पेटेंट प्राप्त नहीं किया जा सका । जेएनवीयू, जोधपुर में, 62.60

प्रतिशत शोध अनुदान का उपयोग करने के बाद भी 14 शोध परियोजनाएं पूर्ण नहीं की जा सकी । जीजीटीयू, बांसवाड़ा में कोई शोध परियोजना आरंभ नहीं की गई थी। चिंताजनक रूप से, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में, पीएचडी छात्रों द्वारा प्रस्तुत 72 थीसिस मूल्यांकन/ परीक्षण के लिए परीक्षकों के पास 2007 से 2019 तक लंबित थी ।

(अनुच्छेद 3.2.1)

अध्याय IV *:* उच्च शिक्षा में पहुंच एवं समता

- राजस्थान सरकार के पास असेवित क्षेत्रों में नए महाविद्यालयों की स्थापना के लिए एक विशिष्ट नीति नहीं थी और उच्च शिक्षा सुविधाओं की कमी वाले स्थान की पहचान करने के लिए भौगोलिक मानचित्रण नहीं किया था ।

(अनुच्छेद 4.1.1.1 एवं 4.1.1.2)

- उच्च शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता में शहरी/ग्रामीण और क्षेत्रवार असंतुलन था। 2014-15 से 2018-19 के दौरान विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम की सीटों की उपलब्धता में कमी हुई जबकि कला स्ट्रीम में वृद्धि हुई ।

(अनुच्छेद 4.1.2.1 से 4.1.2.3)

- यद्यपि राजस्थान का सकल नामांकन अनुपात 2010-11 में 18.2 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 23 प्रतिशत हो गया है लेकिन यह लगातार राष्ट्रीय औसत आंकड़ों से कम रहा है।

(अनुच्छेद 4.2)

- जीजीटीयू, बांसवाड़ा और नमूना जांच किए गए अधिकांश राजकीय और निजी महाविद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और फर्नीचर जैसी बुनियादी अवसंरचना पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं थीं।

(अनुच्छेद 4.4.1)

अध्याय V : शासन एवं प्रबंधन

- राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ ने ना तो उन महाविद्यालयों की संख्या के बारे में आंकड़े संग्रहित किए जिन्होंने आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन किया था और ना ही इसकी निगरानी के लिए कोई व्यवस्था विकसित की थी । नमूना जांच किए गए तीनों विश्वविद्यालयों में 2014-19 के दौरान शासी निकायों जैसे सीनेट, सिंडिकेट/प्रबंधक मंडल और शैक्षणिक परिषद् की निर्धारित बैठकें आयोजित नहीं हुईं थीं।

(अनुच्छेद 5.1.1.2 एवं 5.1.2.1)

- राज्य में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (नैक) द्वारा प्रत्यायन प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति निराशाजनक थी क्योंकि पात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में से केवल 6.04 प्रतिशत ही जनवरी 2020 तक नैक प्रत्यायन प्राप्त थे। साथ ही केवल 0.66 प्रतिशत प्रत्यायन प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा ए+/ए ग्रेड प्राप्त किए जाने का तथ्य राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रदान की जा रही

उच्च शिक्षा की कमजोर गुणवत्ता को इंगित करता है ।

(अनुच्छेद 5.4)

- राजस्थान सरकार ने 2014-19 के दौरान राज्यांश के ₹ 150.95 करोड़ केंद्रीय अंश प्राप्ति के 15 दिवसों की निर्धारित अवधि के बाद 18 से 428 दिवसों की देरी से जारी किये थे।

(अनुच्छेद 5.6.2.2)